विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार पतरस

11-09-2020 बुधु उराँव पिता - ओरगो उराँव को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के पोता की पत्नी सलीना मकड़ा द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम बोहारिनवाला, खाता सं० 101 प्लॉट सं० — रकवा 2.20ए० वर्ष 2014-15 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान सलीना मकड़ा ने अपना लिखित बयान दी है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया हे कि पंजी ii में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार एवं खेसरा संख्या दर्ज नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पतरस बुधु उराँव, पिता - ओरगो उराँव, ग्राम - बोहारिनवाला के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :–

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा
1	2	3	4	5
बोहारिनवाला	65	101	—	2.20ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उपरोक्त जमाबन्दी को निरस्त किया जाता है।

लेखापित

(हस्ताक्षर) 11/09/2020
अंचल अधिकारी,
बोलबा।

(हस्ताक्षर) 11/09/2020
अंचल अधिकारी,
बोलबा।

Scanned with CamScanner